

## नूह ज़िले में नए बूचड़खानों की मंजूरी पर आक्रोश

### चर्चा में क्यों

हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा [नूह ज़िले](#) में 21 अतिरिक्त बूचड़खानों को मंजूरी देने के निर्णय से स्थानीय नविसियों में वरिध भड़क उठा है, जिसके कारण उन्हें पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर [राष्ट्रीय हरति अधिकरण \(NGT\)](#) का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है।

### मुख्य बंदि

- पर्यावरणीय चिंता:
- NGT ने [हरियाणा राज्य परदूषण नियंत्रण बोर्ड](#) और [केंद्रीय भूजल प्राधिकरण](#) को वायु, जल एवं मृदा में परदूषण के आरोपों पर उत्तर देने के लिये नोटिस जारी किया है।
- नविसियों का आरोप है कि मौजूदा बूचड़खाने [परदूषण मानदंडों का उल्लंघन करते हैं](#), जिससे स्थानीय पर्यावरण का क्षण होता है।
- **स्वास्थ्य संबंधी जोखिम:**
- स्थानीय कार्यकर्त्ताओं की रिपोर्ट है कि इन बूचड़खानों के आस-पास के गाँवों में स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और [बूचड़खानों से निकलने वाले खून से खेत दूषित हो रहे हैं](#)।
- कथति तौर पर अपशिष्ट को मृदा और [जल धाराओं](#) में डाला जा रहा है, जिससे असहनीय बदबू एवं स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
- स्थानीय लोगों का कहना है कि नीतियों में वरिधाभास है, [उत्तर प्रदेश](#) बूचड़खानों को बंद कर रहा है, जबकि [हरियाणा नूह](#) में [बूचड़खानों का वसितार कर रहा है](#)।

### राष्ट्रीय हरति अधिकरण (NGT)

- यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा शीघ्र निपटान हेतु [राष्ट्रीय हरति अधिकरण अधिनियम \(2010\)](#) के तहत स्थापित एक वरिष निकाय है।
- NGT की स्थापना के साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद भारत वरिष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला वरिष का तीसरा विकासशील देश बन गया है।
- NGT को आवेदनों या अपीलों का अंतिम रूप से निपटान [दाखिल होने के 6 महीने के भीतर](#) करना अनवरिष है।
- NGT के पाँच बैठक स्थान हैं, [नई दलिली](#) इसकी मुख्य बैठक स्थान है तथा [भोपाल](#), [पुणे](#), [कोलकाता](#) और [चेन्नई](#) अन्य चार स्थान हैं।